

# राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा

**जबकि**, मार्च 2020 की शुरुआत से ही, इलिनॉय ने एक ऐसी वैश्विक-महामारी का सामना किया है, जो असाधारण रूप से बीमारी एवं जनहानि का कारण बनी है, तथा 4,131,800, से भी अधिक लोगों को संक्रमित कर चुकी है और इसने 36,800 से अधिक निवासियों की जान ले ली है; और,

**जबकि**, इलिनॉय के निवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है; और,

**जबकि**, चूंकि इलिनॉय, कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19) द्वारा उत्पन्न लोक स्वास्थ्य आपदा का सामना लगातार कर रहा है, जो कि एक बिलकुल नया, गंभीर, तीव्र श्वसन रोग है और श्वसन संचरण के माध्यम से तेज़ी से फैलता है, और,

**जबकि**, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुरुआत में ही 30 जनवरी, 2020 को COVID-19 को अंतरराष्ट्रीय चिंता का लोक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया, और संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वास्थ्य एवं मानव सेवाओं के सचिव ने 27 जनवरी, 2020 को यह घोषणा की थी कि COVID-19 लोक स्वास्थ्य के लिए आपात स्थिति प्रस्तुत करता है; और,

**जबकि**, 11 मार्च, 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने COVID-19 प्रकोप को वैश्विक महामारी के रूप में चिन्हित किया, और अब इसके कारण पूरे विश्व में COVID-19 के 764 मिलियन से अधिक पुष्टिकृत मामलों की एवं COVID-19 से 6.9 मिलियन से अधिक मौतों की रिपोर्ट हुई हैं; और,

**जबकि**, COVID-19 को रोकने के प्रयासों के बावजूद, वायरस लगातार तेजी से फैल रहा है, और,

**जबकि**, COVID-19 टीके COVID-19 रोग, विशेष रूप से गंभीर बीमारी और मृत्यु को रोकने में प्रभावी हैं; लेकिन कुछ छोटे बच्चों सहित, आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी टीकाकरण से वंचित है; और,

**जबकि**, 9 मार्च, 2020 को मैं, जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय के राज्यपाल (गवर्नर), ने COVID-19 के प्रकोप की प्रतिक्रिया में इलिनॉय राज्य की समस्त काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

**जबकि**, 13 मार्च 2020 को राष्ट्रपति ने रॉबर्ट टी. स्टैफ़र्ड आपदा राहत एवं आपातकालीन सहायता अधिनियम (Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act), 42 U.S.C. 5121-5207 के भाग 501 (b) ("Stafford Act") के अनुसरण में, इलिनॉय सहित सभी राज्यों और क्षेत्रों को कवर करते हुए, राष्ट्रव्यापी आपदा घोषित की है; और,

**जबकि**, 26 मार्च, 2020 को राष्ट्रपति ने स्टैफ़र्ड अधिनियम (Stafford Act) के अनुभाग 401 के अनुसार इलिनॉय में बड़ी आपदा घोषित की; और,

**जबकि**, इलिनॉय में COVID-19 का प्रसार जारी रहा है, जिससे स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, और वायरस के वेरिएंट और सबवेरिएंट के रूप में, जिसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट भी शामिल है, के कारण अतिरिक्त रूप से लगातार जोखिम और नुकसान हुआ है, मैंने मार्च 2020 से हर महीने इलिनॉय राज्य में सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया है; तथा,

**जबकि**, COVID-19 से संबंधित परिस्थितियां तेज़ी से विकसित हुई हैं और नए साक्ष्य प्रकट हुए हैं, इनके कारण लोक स्वास्थ्य मार्गदर्शन में बारंबार बदलाव किए गए हैं; और,

**जबकि** COVID-19 की अभूतपूर्व प्रकृति, जिसमें न केवल श्वसन तंत्र बल्कि हृदय, मस्तिष्क, गुर्दों, और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर पड़ने वाले इसके स्वास्थ्य परिणाम शामिल हैं, के कारणे इस वायरस के प्रभावों और इसके प्रसार के मार्ग का पूर्वानुमान लगाना कठिन बना दिया है; और,

**जबकि**, सामाजिक दूरी बनाना, चेहरा ढंकना, और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सावधानियां COVID-19 के प्रसार को धीमा करने एवं रोकने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं, खासकर जब बीमारी का सामुदायिक प्रसार अधिक हो; और,

**जबकि**, रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) ने 25 फरवरी, 2022 को संशोधित मार्गदर्शन जारी किया है; और,

**जबकि**, CDC के मार्गदर्शन ने COVID-19 से ग्रस्त अस्पताल में दाखिले, इनपेशेंट बेड की उपलब्धता और COVID-19 मामलों की संख्या के आधार पर सामुदायिक COVID-19 स्तरों का आकलन करने के लिए एक ढांचा प्रदान किया है; और,

**जबकि**, अब CDC का मार्गदर्शन केवल उन समुदायों में यूनिवर्सल मास्क़िंग की सिफारिश करता है जिनमें COVID-19 का सामुदायिक स्तर अधिक है; और,

**जबकि**, CDC यह सलाह देना जारी रखता है कि कुछ सामुदायिक सेटिंग्स, जैसे कि स्कूल और उच्च-जोखिम वाली सामूहिक सेटिंग्स को उन सेटिंग की विशेषताओं के आधार पर और प्रकोप की स्थिति में रोकथाम की अतिरिक्त पड़ावों की आवश्यकता हो सकती है; और,

**जबकि**, राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लामेशन्स) के दौरान COVID-19 इलिनॉय में फैल चुका है, संपूर्ण राज्य में आपदा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां बदल चुकी हैं एवं लगातार बदल रही हैं, जिससे भविष्य में वायरस की प्रसार का मार्ग क्या होगा इसका स्पष्ट पूर्वानुमान लगाना अत्यंत कठिन हो गया है; और,

**जबकि**, जिस समय मैंने प्रथम राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लामेशन) जारी की थी तब इलिनॉय की एक काउंटी में COVID-19 के 11 पुष्टीकृत मामले थे; और,

**जबकि**, आज की स्थिति के अनुसार, इलिनॉय की सभी 102 काउंटियों में COVID-19 के 4,131,800 से अधिक पुष्टीकृत मामले हुए हैं; और,

**जबकि**, इलिनॉय में COVID-19 से होने वाली पहली मृत्यु की घोषणा 17 मार्च, 2020 को की गई थी; और,

**जबकि**, आज तक की स्थिति के अनुसार, COVID-19 के कारण इलिनॉय के 36,800 से भी अधिक निवासियों की मृत्यु हो चुकी है; और,

**जबकि**, शुरू से ही, अध्ययन से पता चला है कि हर पुष्ट मामले के साथ और अज्ञात मामले होते हैं, जिनमें से कुछ लक्षण रहित व्यक्ति होते हैं, जो जाने-अनजाने ही दूसरों को वायरस का संक्रमण फैला सकते हैं; और,

**जबकि**, वायरस लगातार बहुत बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित कर रहा है और इलिनॉय वासियों की जान ले रहा है; और,

**जबकि**, COVID-19 वैश्विक महामारी ने राज्य के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है; और,

**जबकि**, बिना सावधानियों के COVID-19 तेजी से फैल सकता है, यहां तक कि कम आबादी वाले क्षेत्रों में भी; और,

**जबकि**, U.S. में इस महामारी के कुल 104 मिलियन से अधिक मामले हैं और लगभग 1,130,600 से अधिक मौतें हुई हैं; और,

**जबकि**, COVID-19 ने अनुपातहीन रूप से ऊँची दर पर इलिनॉय के अश्वेत और हिस्पेनिक निवासियों की जान ली है और उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करना जारी रखा है – जिससे स्वास्थ्य संबंधी विषमताएं एवं असमानताएं कई गुना बढ़ गई हैं; और,

**जबकि**, इलिनॉय लोक स्वास्थ्य विभाग (Department of Public Health) ने अस्पताल संसाधनों के इस्तेमाल एवं क्षमता की आवश्यकता में आने वाले अचानक बड़े उछाल से बचने के लिए अस्पतालों, स्थानीय स्वास्थ्य विभागों, और आपातकालीन प्रबंधन प्रणालियों के आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रयासों में तालमेल बैठाने के लिए अपनी इलिनॉय आपातकालीन संचालन योजना (Emergency Operations Plan) और आपातकालीन सहयोग कार्य 8 योजना को सक्रिय कर दिया था; और,

**जबकि**, जैसे वायरस इलिनॉय में फैला है, राज्य के सामने संकट बढ़ा है और अब एक लगातार विकसित होती प्रतिक्रिया की आवश्यकता है ताकि अस्पताल, स्वास्थ्य कर्मी और प्रथम प्रतिक्रिया देने वाले लोग इलिनॉय के सभी निवासियों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करें, और यह CDC के दिशानिर्देशों के अनुरूप हो; और,

**जबकि**, COVID-19 महामारी के प्रभाव के कारण देश भर में स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी हो गई है, जो इलिनॉय में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के वितरण को प्रभावित कर रहा है, जिसमें राज्य संचालित सुविधाओं सहित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में स्टाफ, बिस्तरों और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता शामिल है; और,

**जबकि**, 36,800 से भी अधिक इलिनॉय वासियों की दुखद मृत्यु का कारण बनने एवं दस हज़ार और निवासियों के शारीरिक स्वास्थ्य को तबाह करने के अलावा, COVID-19 ने पूरे राष्ट्र एवं राज्य में बड़ी संख्या में व्यक्तियों एवं व्यवसायों को व्यापक आर्थिक हानि पहुंचाई है; और,

**जबकि**, महामारी के अभूतपूर्व आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए इलिनॉय रोज़गार सुरक्षा विभाग (Department of Employment Security) इस आर्थिक संकट का कई प्रकार से सामना कर रहा है; और,

**जबकि**, डिपार्टमेंट ऑफ़ कामर्स एंड इकॉनॉमिक अपॉर्च्युनिटी इस आर्थिक संकट को सुलझाने के लिए लगातार कार्य कर रहा है; और,

**जबकि**, राज्य की कई कार्यकारी एजेंसियां COVID-19 महामारी के लिए जारी प्रतिक्रिया पर महत्वपूर्ण संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखती हैं; और,

**जबकि**, राज्य की कई एजेंसियां अमेरिकी बचाव योजना और कोरोना वायरस राज्य और स्थानीय वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु निर्धारित निधि का राज्य हित में उपयोग करने हेतु लगातार कार्य कर रही हैं; और,

**जबकि**, COVID-19 के कारण हुए आर्थिक नुकसान और असुरक्षा ने व्यवसाय की व्यवहार्यता और आवास, चिकित्सा देखभाल, भोजन और अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों तक पहुंच को खतरे में डाल दिया है जो निवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सीधे प्रभावित करते हैं; और,

**जबकि**, COVID-19 स्कूलों के लिए भी असाधारण रूप से बाधाकारी रहा है, इसलिए राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक यह है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि छात्र गुणवत्ता-पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम हों तथा स्कूल छात्रों, शिक्षकों एवं समुदाय के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने में सक्षम हों; और,

**जबकि**, पूर्वगामी तथ्यों के आधार पर, और लगातार जारी स्वास्थ्य और आर्थिक दुष्प्रभावों के आधार पर जो आने वाले समय में राज्य भर के लोगों द्वारा महसूस किए जाएंगे, इलिनॉय में COVID-19 के प्रसार से उत्पन्न मौजूदा परिस्थितियां इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम की धारा 4 के तहत एक महामारी जनित आपातकाल और लोक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति उत्पन्न करती हैं; और,

**जबकि**, पूर्वगामी स्थिति के आधार पर, राज्य, संक्रमणों में वृद्धि की संभावित स्थिति में स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों की कमी का सामना कर सकता है, इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम की अनुच्छेद 4 के तहत लोक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति उत्पन्न करती है; और,

**जबकि**, इलिनॉय राज्य की यह नीति है कि किसी भी आपदा को संभालने के लिए तैयार रहे और, अतः राज्य को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराना, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व उपयुक्त है कि हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली उन लोगों की सेवा करने में सक्षम है जो बीमार हैं और यह कि इलिनॉय वासी सुरक्षित एवं महफूज़ रहें; और चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने में सक्षम हों; और,

**जबकि**, इस उद्घोषणा से राज्य ऐसे व्यक्तियों और व्यवसायों की आर्थिक स्थिति को बहाल करने में मदद कर पाएगा, जिन्हें COVID-19 के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा है, इसके द्वारा आगे होने वाले विनाशकारी परिणामों से बचा जा सकेगा; और,

**जबकि**, यह उद्घोषणा इलिनॉय एजेंसियों को राज्य और संघीय संसाधनों के समन्वय में सहायता करेगी, जिसमें COVID-19 के परीक्षण के लिए आवश्यक सामग्री, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और दवाएं शामिल हैं, जो वर्तमान लोक स्वास्थ्य आपातकाल के प्रति राज्य की प्रतिक्रियाओं के साथ-साथ स्थानीय शासन की प्रतिक्रियाओं में सहायता करने का प्रयास है; और,

**जबकि**, यह उद्घोषणा इलिनॉय एजेंसियों को राज्य और संघीय वसूली निधियों के आपस में समन्वय में सहायता करेगी; और,

**जबकि**, ये स्थितियां इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (Illinois Emergency Management Agency Act) के अनुभाग 7 के अंतर्गत नई आपदा की उद्घोषणा जारी करने का कानूनी औचित्य प्रदान करती हैं; और,

**जबकि**, इलिनॉय का संविधान, अनुच्छेद V, अनुभाग 8 में, यह प्रदान करता है कि "राज्यपाल के पास सर्वोच्च कार्यकारी शक्ति होगी, और वह कानूनों के न्यायसंगत निष्पादन के लिए जिम्मेदार होगा," और प्रस्तावना में कहता है कि, इलिनॉय के संविधान का केंद्रीय उद्देश्य है "लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करना";

**अब, अतः**, इलिनॉय के लोगों और लोक स्वास्थ्य व सुरक्षा हेतु उत्तरदायी स्थानीय सरकारों की सहायता के हित में, मैं, जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय का राज्यपाल (गवर्नर), इसके द्वारा निम्नगत उद्घोषणा करता हूँ:

**अनुभाग 1.** इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (Illinois Emergency Management Agency Act) के 20 ILCS 3305/7 के अनुभाग 7 के प्रावधानों के अनुसरण में, मैं यह पाता हूँ कि इलिनॉय राज्य के भीतर आपदा मौजूद है और विशेष रूप से इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित करता हूँ। यह उद्घोषणा, इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (Illinois Emergency Management Agency Act), 20 ILCS 3305/7 के अनुभाग 7 में प्रदत्त समस्त आपातकालीन शक्तियों, जिनमें नीचे वर्णित विशिष्ट आपातकालीन शक्तियां शामिल हैं पर उन्हीं तक सीमित नहीं हैं, के उपयोग के प्राधिकार की अनुमति देती है।

**अनुभाग 2.** इलिनॉय लोक स्वास्थ्य विभाग और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण को यह निर्देश दिया जाता है कि वे वर्तमान लोक स्वास्थ्य आपातकाल हेतु योजना बनाने और उस पर प्रतिक्रिया देने के संदर्भ में एक-दूसरे के साथ तालमेल रखें।

**अनुभाग 3.** इलिनॉय लोक स्वास्थ्य विभाग (Illinois Department of Public Health) को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वह वर्तमान लोक स्वास्थ्य आपातकाल के संबंध में लोक स्वास्थ्य की रक्षा की रणनीतियों और योजनाओं के विकास और कार्यान्वयन में राज्यपाल (गवर्नर), अन्य राज्य अभिकरणों एवं स्थानीय प्राधिकरणों, जिनमें स्थानीय लोक स्वास्थ्य प्राधिकरण शामिल हैं, के साथ सहयोग करे।

**अनुभाग 4.** इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण को यह निर्देश दिया जाता है कि वह आपदा प्रतिक्रिया और बहाली कार्यक्रमों में स्थानीय सरकारों की सहायता हेतु राज्य के संसाधनों का समन्वयन करने के लिए राज्य आपातकालीन संचालन योजना कार्यान्वित करे।

**अनुभाग 5.** प्रतिक्रिया हेतु आवश्यक आपातकालीन खरीद, और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (Illinois Emergency Management Agency Act) द्वारा अधिकृत अन्य आपातकालीन शक्तियों के संबंध में सहायता देने के लिए, इलिनॉय अधिप्राप्ति संहिता (प्रोक्योरमेंट कोड) के वे उपबंध, जो आपदा

का सामना करने में आवश्यक कार्रवाई को किसी भी प्रकार से रोकते, बाधित करते, या विलंबित करते हों, उस सीमा तक स्थगित किए जाते हैं जिस सीमा तक कि वे संघीय कानून के लिए आवश्यक नहीं हैं। यदि आवश्यक हो तो, और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (Illinois Emergency Management Agency Act), 20, ILCS 3305/7(1) के अनुभाग 7(1) के अनुसरण में, राज्यपाल (गवर्नर) अतिरिक्त संविधियों, आदेशों, नियमों, और विनियमों को स्थगित करने के लिए उपयुक्त कार्यकारी कार्रवाई कर सकता है।

**अनुभाग 6.** इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम, 20 ILCS 3305/7(3) के अनुभाग 7(3) के अनुसरण में, यह उद्घोषणा राज्यपाल (गवर्नर) के, आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रमों को निष्पादित या सुगमित करने के उद्देश्य से राज्य के विभागों और उनके अभिकरणों या इकाइयों के निर्देश, कार्मिकों या कार्यों को स्थानांतरित करने के प्राधिकार को, आवश्यकतानुसार, सक्रिय करती है।

**अनुभाग 7.** इलिनॉय लोक स्वास्थ्य विभाग (Illinois Department of Public Health), इलिनॉय बीमा विभाग (Illinois Department of Insurance), और इलिनॉय स्वास्थ्य देखभाल एवं परिवार सेवा विभाग (Illinois Department of Healthcare and Family Services) को यह निर्देश दिया जाता है कि वे COVID-19 के परीक्षण के लिए पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अनुशंसा करें, और यथोचित कार्रवाई करें और उपभोक्ताओं को COVID-19 की पहचान करने और उपचार सेवाएं पाने में वित्तीय बाधाओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए आवश्यक कदमों की अनुशंसा करें।

**अनुभाग 8.** इलिनॉय राज्य शिक्षा बोर्ड (स्टेट बोर्ड ऑफ़ एजुकेशन) को अनुशंसा करने के लिए निर्देश दिया जाता है कि मौजूदा लोक स्वास्थ्य आपातकाल से जुड़े अध्ययन के किसी भी दुष्प्रभाव को दूर करने पर ध्यान देने, और इस उद्घोषणा के प्रभावी रहने के दौरान दूरस्थ-शिक्षण, जो इलिनॉय स्कूल संहिता (स्कूल कोड), 105 ILCS 5/1-1 एवं अनुवर्ती, में विद्यमान है, के उपयोग में जो भी बाधाएँ हों उन्हें हटाने के लिए, आवश्यक कार्रवाइयों की अनुशंसा करें, और, उपयुक्ततानुसार, वे कार्रवाइयां करें।

**अनुभाग 9.** राज्य के सभी अभिकरणों (एजेंसियों) को यह निर्देश दिया जाता है कि वे मौजूदा लोक स्वास्थ्य आपातकाल के आर्थिक प्रभाव का सामना करने और उससे उबरने की रणनीतियों एवं योजनाओं के विकास एवं कार्यान्वयन में राज्यपाल (गवर्नर), अन्य राज्य अभिकरणों और स्थानीय प्राधिकरणों का सहयोग करें।

**अनुभाग 10.** इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (Illinois Emergency Management Agency Act), 20, ILCS 3305/7(14) के अनुभाग 7(14) के अनुसरण में, इलिनॉय राज्य में वस्तुओं या सेवाओं, जिनमें चिकित्सीय आपूर्तियां, सुरक्षा उपकरण, दवाएं और वे अन्य उपयोगी वस्तुएँ शामिल हैं, जो COVID-19 की रोकथाम या इसके उपचार और उससे उबरने/स्वास्थ्य लाभ करने के लिए अभीष्ट हैं, इनके विक्रय मूल्य में इस उद्घोषणा के प्रभावी रहने के दौरान वृद्धि करना निषिद्ध रहेगा।

**अनुभाग 11.** यह उद्घोषणा संघीय आपातकालीन और/या आपदा सहायता के अनुरोधों को स्वीकार करना सुगम बना सकती है, बशर्ते क्षति का पूर्ण व व्यापक आकलन यह इंगित करे कि प्रभावी बहाली राज्य और प्रभावित स्थानीय सरकारों की क्षमताओं से परे है।

**अनुभाग 12.** यह उद्घोषणा तुरंत प्रभावी होगी और मई 11, 2023 तक प्रभावी रहेगी।

जे.बी. प्रिट्ज़कर (JB Pritzker)  
राज्यपाल (गवर्नर)

दिनांक: अप्रैल 28, 2023